विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2025

- सा.का.नि. 36.—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा निबंधन) नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें एसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागू होना- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- **3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. भारत के किसी भाग में सेवा दायित्व- सभी कार्मिकों को अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ भारत के किसी भाग में सेवा करने का दायित्व होगा।
- 6. निर्हरता- वह व्यक्ति,-
 - क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा ब्यूरो से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 8. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निदेशक	10 (2025)*	केंद्रीय सरकार	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(तकनीकी)।		में समूह 'क' पदों	13		
	* कार्यभार के	के समतुल्य,	(123100-		
	आधार पर		215900 रु.)		
	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			
	जा सकता है।	और			
		अराजपत्रित।			

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	प्रोप्ति: वेतन मेट्रिक्स के स्तर-12 (78800-209200 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऐसे संयुक्त निदेशक (तकनीकी) की श्रेणी के अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं।) प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं।) कंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन

स्तर-12 (78800 - 209200 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700 - 208700 रु.) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो;

और

- (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता रखते हों:-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; या
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री:

और

(iii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपवंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

और

(ग) उद्योग, परिवहन या भवन में ऊर्जा दक्षता मामलों के ब्यौहार में अर्हता-उपरांत दस वर्ष का अनुभव।

वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या व्यवसाय प्रवंधन/प्रशासन या ऊर्जा अध्ययन या औद्योगिक या प्रणाली प्रवंधन में स्नातकोत्तर डिग्री;

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-
	सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से
	अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
(42)	जाएगा।
(12) विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के	(13) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगेः	आवश्यक नहीं है।
(1) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;	
(2) उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;	
(3) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय – सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. संयुक्त निदेशक	11 (2025)*	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(तकनीकी)।	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	12 (78800- 209200₹.)।			

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऐसे उप निदेशक (तकनीकी) श्रेणी के अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित सेवा पर पांच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण पत्र हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में. जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की

अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -11 (67700 208700 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;

और

- (ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं रखते हों:-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; **या**
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; और
- (iii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो;

और

(ग) उद्योग, परिवहन या भवन में ऊर्जा दक्षता मामलों के ब्यौहार में अर्हता-उपरांत दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की

	अवधि है साधारणतया 4 वर्ष	से अधिक नहीं होगी।
		ा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा म तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।	Tallia in a fill that share tell

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं
करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:	है।
(1) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;	
(2) उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;	
(3) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत	
मंत्रालय - सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप	11 (2025)*	केंद्रीय सरकार	वेतन मैट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशक		में समूह 'क' पदों के	वेतन स्तर-11		होता।	होता।
(तकनीकी)।	* कार्यभार के		(67700 –			
	आधार पर परिवर्तन	समतुल्य,	208700 रु.)।			
	किया जा सकता है।					
		अननुसचिवीय,				
		अराजपत्रित				

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऐसे सहायक निदेशक (तकनीकी) श्रेणी के अधिकारी, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा प्रबंधक या ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण पत्र हो।
			टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम

न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अईक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;
- (ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता रखते हों:-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री: **या**
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; और
- (iii) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय परीक्षा के आधार पर ऊर्जा प्रबंधक या ऊर्जा लेखा परीक्षक के रूप में प्रमाण पत्र:

और

(ग) उद्योग, परिवहन या भवन में ऊर्जा दक्षता मामलों से ब्यौहार में अर्हता-उपरांत पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अविध है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
	प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के ि	रेए) में सं	घ लोक सेवा आयोग से परामर्श
निम्नलिखित होंगे:	क	रना आवश्यक नहीं है।
विभागीय चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-		
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालयअ	गध्यक्ष;	
(2) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में निदेशक -स	ादस्य।	
(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	तदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. सहायक निदेशक (तकनीकी)।	20 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर- 10 (56100- 177500 ₹.)।	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष तक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	आवश्यक: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र या रसायन विज्ञान या अर्थशास्त्र या गणित में स्नातकोत्तर डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; टिप्पण 1: अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए केंद्रीय सरकार के विवेक पर अर्हता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अनुभव से संबंधित अर्हता में छूट केंद्रीय सरकार के विवेक पर लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दी जा सकती है, यदि चयन के किसी भी चरण में केंद्रीय सरकार की राय है कि इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्त को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	2 वर्ष।	गुणागुण के क्रम में विधिमान्य गेट स्कोर के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जहाँ	लागू नहीं
होता।		भी लागू हो । ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विभिन्न विषयों/विधाओं की क्रम स्थापना के	होता।
		लिए कट-ऑफ गेट प्राप्तांक नियत करेगा। विभागीय चयन समिति चयनित	
		सूची में रखे गए अभ्यार्थियों के चयन को अंतिम रूप देने के लिए गेट प्राप्तांक	
		के आधार पर अभ्यार्थियों की सिफारिश करेगी।	
		टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या	
		किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर	
		रहने के कारण हुई रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ	
		राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या	
		विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों	
		के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो	
		नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों और जिनके पास स्तंभ 7 के	
		अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथानिहित अर्हताएं और	
		अनुभव हों।	

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (चयन के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	संघ लोक सेवा आयोग
	से परामर्श करना
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष	₁; । आवश्यक नहीं है।
(2) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में निदेशक -सदस्य	Γ ;
(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य	rı 📗
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-	
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक -अध्यक्ष	त्र;
(2) संयुक्त निदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य	र;
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय -सदस्य	र।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. संयुक्त	01 (2025)*	केंद्रीय सरकार में	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशक		समूह'क' पदों के	में वेतन स्तर-	होता।	होता।	होता।
(गैर-	*कार्यभार के	समतुल्य,	12 (78800-			
तकनीकी)।	_{"कायमार क} आधार पर	अनुसचिवीय,	209200 रु.)।			
	परिवर्तन किया	अराजपत्रित।				
	जा सकता है।					

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त विधि:	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):
होता।	होता।		
		प्रोन्नति द्वारा,	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों
		प्रतिनियुक्ति	या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-
		जिसके अंतर्गत	सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-
		अल्पकालिक	

संविदा भी है द्वारा।

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;
- (ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता रखते हैं:-
- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या
- (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त/मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ);

और

(ग) स्थापना या प्रशासन या लेखा या सतर्कता से संबंधित कार्यों को संभालने में अर्हता-उपरांत दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-11 (67700-208700 रु.) में ऐसे विभागीय उप निदेशक (गैर-तकनीकी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और रोकड़ तथा लेखा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सतर्कता और अन्य स्थापना मामलों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले व्यक्ति पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि वह पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हो जाता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
होंगे:-	करना आवश्यक नहीं है।
(1) अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय -अध्यक्ष;	
(2) उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;	
(3) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय	
-सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. उप	01 (2025)*	केंद्रीय सरकार में	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशक (गैर-		समूह 'क' पदों के	में वेतन स्तर-	होता।	होता।	होता।
तकनीकी)।	 *कार्यभार के आधार	समतुल्य,	11 (67700–			
	पर परिवर्तन किया	अनुसचिवीय,	208700 रु.)			
	जा सकता है।	अराजपत्रित				

(2)	(0)	1 (10)	1 (40)
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं	संयुक्त विधि:	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):
	होता।	प्रोन्नित द्वारा, प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ;
			(ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता रखते हो:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त/मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ);
			और (ग) स्थापना या प्रशासन या लेखा या सतर्कता से संबंधित मामलों को संभालने में अर्हता-उपरांत पांच वर्ष का अनुभव।
			टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100-177500 रु.) में ऐसे विभागीय सहायक निदेशक (वित्त) और सहायक निदेशक (मानव संसाधन) जिन्होंने उक्त श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है और जिन्होंने रोकड़ तथा लेखा प्रशिक्षण, प्रशासनिक सतर्कता और अन्य स्थापना मामलों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, उन पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।
			टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन
	प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)		
विभागीय चयन समिति (प्रोन्नति या नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लि	ाए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से	
निम्नलिखित होंगे:		परामर्श करना आवश्यक नहीं	
		है।	
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय	-अध्यक्ष;		
(2) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	-सदस्य;		
(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-सदस्य।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7. सहायक निदेशक (वित्त)।	01 (2025)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (56100- 177500 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	प्रोन्नत	संयुक्त पद्धति:	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।):
होता।	व्यक्तियों के		
	लिए दो	प्रतिनियुक्ति जिसके	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या
	वर्ष।	अंतर्गत अल्पकालिक	विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक
		संविदा भी है/ प्रोन्नति,	सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों
			के अधिकारी-
			 (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश
			(क) (i) जो मूल कोडर यो विमाग में नियामत आबार पर संदृश पद धारण किए हुए; या
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-
			8 (47600-151100 रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो;
			या
			(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-
			7 (44900-142400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो;
			और
			(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो:-
			(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या
			(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ
			बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त में विशेषज्ञता के साथ)।
			और
			(ग) वित्त, लेखा और बजट संबंधी कार्यों का न्यूनतम तीन वर्ष का
			अनुभव।

टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऐसे विभागीय वित्त और लेखा अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उस पद पर नियुक्ति के लिए चयनित होता है, तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियक्ति पर नियक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम आय-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:		संघ लोक
		सेवा आयोग
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय	-अध्यक्ष;	से परामर्श
(2) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	-सदस्य;	करना आवश्यक
(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-सदस्य।	नहीं है।
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित होंगे:		
(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-अध्यक्ष;	
(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-सदस्य;	
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	-सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. सहायक निदेशक	01 (2025)*	केंद्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(मानव संसाधन)।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समतुल्य अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	10 (56100- 177500 रु.)।			

(8)	(9)	(10)	(11)		
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो तथा जिन्होंने प्रशासनिक सतर्कता और अन्य स्थापना मामलों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो।		
			टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
			प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):		
			केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8 (47600-151100 रु.) में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
			(ख) निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से मास्टर ऑफ बिजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन (मानव संसाधन में विशेषज्ञता के साथ); और (ग) सामान्य प्रशासन और स्थापना संबंधी कार्यों को संभालने में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों।		
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के		

पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

िटप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए)	जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से
होंगे:		परामर्श करना आवश्यक नहीं
		है।
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय	-अध्यक्ष;	
(2) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	-सदस्य;	
(3) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-सदस्य।	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	निम्नलिखित होंगे:	
(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-अध्यक्ष;	
(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-सदस्य;	
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	-सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	2	केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	लागू	तीस वर्ष तक।	आवश्यक:
प्रशासनिक	(2025)*	सरकार में	में	नहीं		(i) किसी मान्यता प्राप्त
अधिकारी।	*कार्यभार	समूह 'ख'	वेतन स्तर-7	होता।	(केन्द्रीय	विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री; या
	के आधार	पदों के	(44900 –		सरकार द्वारा	
	पर	समतुल्य,	142400 रु.)।		जारी किए गए	(ii)किसी मान्यता प्राप्त
	परिवर्तन				अनुदेशों/	विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यवसाय
	किया जा	अनुसचिवीय,			आर्देशों के	प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (मानव
	सकता है।	अराजपत्रित।			अनुसार	संसाधन में विशेषज्ञता सहित)।
					विभागीय	•
					अभ्यर्थियों	वांछनीय : केन्द्रीय या राज्य/संघ
					सहित	राज्य क्षेत्र सरकार या पब्लिक सेक्टर
					सरकारी	उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या कानूनी
					कर्मचारियों के	या स्वशासी निकायों या मान्यता
					लिए पांच वर्ष	प्राप्त अनुसंधान संस्थानों आदि में
					तक शिथिल	स्थापना या प्रशासन या सतर्कता
					की जा सकती	संबंधी कार्य संभालने का एक वर्ष का

		है)।	अनुभव। टिप्पण 1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के
			लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है।
			टिप्पण 2: अनुभव संबंधी
			अर्हता/अर्हताएं, ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार
			अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब
			चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के
			लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना
			नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, समय-समय पर संशोधित, तारीख 21/12/2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था.(ख) के अनुसार गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची में से जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के भर्ती के सभी चरणों को सीधी भर्ती द्वारा उत्तीर्ण कर लिया हो,।	लागू नहीं होता।
		इस प्रयोजन के लिए, गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों, जिन्होंने भर्ती के सभी चरणों को पास कर लिया है, को 1:3 (रिक्तियों का तीन गुना) के अनुपात में बुलाया जाएगा, और आयु, शैक्षिक अर्हता, आरक्षण के लिए दावे और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात, चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित गुणागुण के क्रम में नियुक्ति की प्रस्थापना की जाएगी।	
		टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुएं हो या पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव हों।	

(12)				(13)		
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें ि	नेम्नलिखित	संघ	लोक	सेवा	आयोग	से
होंगे:		पराग	मर्श कर	ना आ	वश्यक नः	हीं
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	- अध्यक्ष;	है।				
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-सदस्य;					
(3) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	– सदस्य।					
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:						
(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- अध्यक्ष;					
(2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	- सदस्य;					
(3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. वित्त	01 (2025)*	केन्द्रीय सरकार में समूह	वेतन मैट्रिक्स	लागू	लागू	लागू नहीं
और लेखा	*कार्यभार के आधार पर	'ख' पदों के समतुल्य,	में वेतन स्तर-7	नहीं	नहीं	होता।
अधिकारी।	परिवर्तन किया जा	अनुसचिवीय,	(44900 –	होता।	होता।	
	सकता है।	अराजपत्रित।	142400 रु)।			

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लेखाकार श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो तथा जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
			टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
			प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):
			केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-
			(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -6 (35400 - 112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
			(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:-

आवश्यक

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठन में रोकड़ और लेखा या बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री (वित्त में विशेषज्ञता सहित);
- (ii) केन्द्रीय सरकार की लेखा प्रक्रिया, जैसे बजट, आहरण और संवितरण, प्राप्तियां और संदाय, कानूनी वसूलियां, निधियां, उनका लेखा और वित्तीय नियंत्रण, वार्षिक लेखा की तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रियात्मक ब्यौरे का ज्ञान होना चाहिए; और
- (iii) वाणिज्यिक लेखाओं का अच्छा ज्ञान होना।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)			(13)		
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार	करने के लिए)	संघ लोक सेवा	आयोग से	परामर्श	करना
जिसमें निम्नलिखित होंगे:		आवश्यक नहीं है।			
·					
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	- अध्यक्ष;				
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य;				
(3) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	03	केन्द्रीय	वेतन मैट्रिक्स	लागू	तीस वर्ष	आवश्यक
लेखाकार।	(2025)*	सरकार में	में वेतन स्तर-	नहीं	तक।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
		समूह 'ख' पदों	6 (35400-	होता।	(केन्द्रीय	से वाणिज्य में स्नातक डिग्री;
	*कार्यभार	के समतुल्य,	112400रु.)।		सरकार	वांछनीय:
	के आधार	अनुसचिवीय,			द्वारा जारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त

पर	अराजपत्रित।		किए गए	विश्वविद्यालय/संस्थान से व्यापार
परिवर्तन			अनुदेशों या	प्रबंध में स्नातकोत्तर डिग्री (वित्त में
किया जा			आदेशों के	विशेषज्ञता सहित)।
सकता है।			अनुसार	(ii) नियम 2(iii) में विनिर्दिष्ट
			विभागीय	कार्यालयों में रोकड़ और लेखा या
			अभ्यर्थियों	बजट कार्य में दो वर्ष का अनुभव होना।
			सहित	(iii) केन्द्रीय सरकार की लेखा प्रक्रिया
			सरकारी	जैसे बजट, आहरण और संवितरण,
			कर्मचारियों	प्राप्तियां और भुगतान, कानूनी
			के लिए पांच	वसूलियां, निधियां, उनका लेखा और
			वर्ष तक	वित्तीय नियंत्रण, वार्षिक लेखाओं की
			शिथिल की	तैयारी और अंतिम रूप देने के लिए
			जा सकती	प्रक्रियात्मक विवरण का ज्ञान होना
			है)।	चाहिए;
				और
				(iv) वाणिज्यिक लेखाओं का अच्छा
				ज्ञान होना।
				टिप्पण 1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित
				अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए
				जो लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम
				प्राधिकारी" के विवेकानुसार शिथिल
				की जा सकती है।
				टिप्पण 2: अनुभव संबंधी
				अर्हता/अर्हताएं कारणों के लिए जो
				लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम
				प्राधिकारी" के विवेकानुसार अनुसूचित
				जातियों या अनुसूचित जनजातियों के
				अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की
				जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम
				पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह राय है
				कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को
				भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने
				वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
				पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
				संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू	दो	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, समय-समय पर संशोधित, तारीख 21/12/2020 के	
नहीं	वर्ष।	कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था.(ख) के अनुसार गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों	नहीं
होता।		की सूची में से जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा	होता।
		के भर्ती के सभी चरणों को सीधी भर्ती द्वारा उत्तीर्ण कर लिया हो।	
		इस प्रयोजन के लिए, गैर-अनुशंसित अभ्यर्थियों, जिन्होंने भर्ती के सभी चरणों को	
		पास कर लिया है, को 1:3 (रिक्तियों का तीन गुना) के अनुपात में बुलाया जाएगा, और आयु,	
		शैक्षिक अर्हता, आरक्षण के लिए दावे और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट से संबंधित	

प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात्, चयनित सूची में रखे गए अभ्यर्थियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित योग्यता के क्रम में नियुक्ति की प्रस्थापना की जाएगी।

टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अविध के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई रिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों या पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव रखता हों।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से
होंगे:		परामर्श करना आवश्यक नहीं
		है।
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	- अध्यक्ष;	
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य;	
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	- सदस्य।	
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नि	वित हैं:	
(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- अध्यक्ष;	
(2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	- सदस्य;	
(3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12. उप	1* (2025)	केन्द्रीय सरकार में	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता।
निदेशक (मीडिया)।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	11 (67700- 208700 रु.)।	नहा होता।	होता।	हाता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या
होता।	होता।	अंतर्गत अल्पकालिक	मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-
		संविदा भी है।	(क) (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
			(ii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (56100 - 177500 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या
			(iii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9

(50400 407000 - \ 2 2
(53100 - 167800 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;
और
(ख) मास कम्युनिकेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य;
और
(ग) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में जनसंपर्क या मीडिया को संभालने का पांच वर्ष
का अनुभव।
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि,
जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस
नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके
अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक
नहीं होगी।
टिप्पण 2 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त
करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)			
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए)	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना			
जिसमें निम्नलिखित होंगे:	आवश्यक नहीं है।			
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय				
-अध्यक्ष;				
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो -सदस्य;				
(3) निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो -सदस्य।				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13. सहायक निदेशक (मीडिया)।	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पदों के समतुल्य, अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-10 (56100 - 177500 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता
61/111	61/111	अल्पकालिक संविदा भी	प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-
		है द्वारा।	(क) (i) जो मूल काडर में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9 (53100-
			167800 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर में नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-8

(47600-151100 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;
और
(ख) मास कम्युनिकेशन में स्नातक या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य;
और
(ग) किसी ख्यातिप्राप्त संगठन में जनसंपर्क या मीडिया को संभालने का पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
निम्नलिखित होंगे:	करना आवश्यक नहीं है।
(1) संयुक्त सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी, विद्युत मंत्रालय-अध्यक्ष;	
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो-सदस्य;	
(3) निदेशक, प्रेस सूचना ब्यूरो-सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. वरिष्ठ निजी सचिव।	(-) 01 (2025)* *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केंद्रीय सरकार में समूह 'ख' पदों के समतुल्य,	पंज वेतन स्तर – 8 (47600 – 151100 रु.) तथा चार वर्ष की नियमित सेवा के पश्चात वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर – 9 (53100 – 167800 रु.) में	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
		अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	उन्नत पद किया गया।			

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू	लागू	प्रोन्नति द्वारा,	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
नहीं	नहीं	जिसके न हो	के निजी सचिव श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात
होता।	होता।	सकने पर	दो वर्ष की सेवा दी हो।
		प्रतिनियुक्ति	
		जिसके	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता
		अंतर्गत	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ
		अल्पकालिक	व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की
		संविदा भी है	गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से
		द्वारा।	या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ

व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले गी पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारी-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -7 (44900-142400 रु.) में दो वर्ष की नियमित सेवा;

और

(ख) जो निम्नलिखित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

आवश्यक

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;

और

- (ii) निम्नलिखित अनुभव रखने वाले:
- 1. अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की आश्लिपि गति होना;
- 2. अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति:
- 3. अधिकारियों के निजी कार्यालय के प्रबंधन में अनुभव;
- 4. कार्यालय प्रक्रियाओं, फ़ाइल रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन और गोपनीय कागजात के रखरखाव का ज्ञान:
- 5. अपॉइन्टमेन्ट का अनुसूचन और यात्रा अनुसूचन से परिचित होना;
- 6. अच्छी पारस्परिक कौशल, आगंतुकों की आवभगत क्षमता;

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)		(13)
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध विचा	र करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना
निम्नलिखित होंगे:		आवश्यक नहीं है।
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	- अध्यक्ष;	
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य;	
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	– सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	1* (2025)	केंद्रीय सरकार में	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं होता।
निजी		समूह 'ख' पदों के	में वेतन स्तर -	होता।	होता।	
सचिव।	* कार्यभार के आधार	समतुल्य,	7. (44900 –	·		
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय,	142400 ₹.)৷			
	जा सकता है।	अराजपत्रित।				

L		1./11 61	31/13/11/11/11
(0)	/ 0`	(40)	(44)
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू	लागू	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नित: वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-6 (35400-112400 रु.) में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
नहीं	नहीं	जिसके न हो	के स्टेनोग्राफर श्रेणी के अधिकारी जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्
होता।	होता।	सकने पर	पांच वर्ष की सेवा की हो।
		प्रतिनियुक्ति	टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता
		जिसके	सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ
		अंतर्गत्	व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की
		अल्पकालिक अल्पकालिक	गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से
		संविदा भी है	या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ
		द्वारा।	व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले भी पूरी कर ली है,
			अगुली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक
			पूरी कर ली हो।
			प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):
			केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता
			प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी
			या कानूनी संगठनों के अधिकारी-
			(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए
			हुए हो; या
			(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर -6 (35400-
			(1) ाजरहारा पूरा कांबर या विसास से बतार सांद्रवर के बतार स्तर -0 (55466-
			। 112400 रु.) में पाप पेप का नियामर स्वा का हा,
			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
			और ()
			(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-
			(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री;
			और
			(ii) निम्नलिखित अनुभव रखने वाले:
			1. अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि लिखने की गति 80 शब्द प्रति मिनट;
			2. अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति;
			3. अधिकारियों के निजी कार्यालय के प्रबंधन में अनुभव;
			4. कार्यालय प्रक्रियाओं, फ़ाइल रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन और गोपनीय कागजात के
			रखरखाव का ज्ञान;
			5. अपॉइन्टमेन्ट का अनुसूचन और यात्रा अनुसूचन से परिचित होना;
			6. अच्छी पारस्परिक कौशल, आगंतुकों की आवभगत क्षमता;
			Si a sa ax ax ax a man, sa ag a manana anan
			टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में
			है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार
			प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं
			होंगे।
			िटिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि,

	जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस
	नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके
	अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं
	होगी।
	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त
	करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)	
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार कर	ा के लिए) जिसमें संघ लोक सेवा आयो	ा से परामर्श
निम्नलिखित होंगे:	करना आवश्यक नहीं है।	
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	- अध्यक्ष;	
(2) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य;	
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	– सदस्य	

	T				T	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	08	केंद्रीय सरकार	वेतन मैट्रिक्स	लागू	तीस वर्ष	(क) आवश्यक
आशुलिपिक।	(2025)*	में समूह 'ख'	में वेतन स्तर	नहीं	तक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
	*	पदों के समतुल्य	6	होता।	(केन्द्रीय	स्रातक डिग्री; और
	कार्यभार		(35400-		सरकार	(ii) अंग्रेजी या हिंदी में आशुलिपि लिखने
	के	अनुसचिवीय,	112400/-रु.)।		द्वारा	की गति 80 शब्द प्रति मिनट;
	आधार	अराजपत्रित।			जारी	और
	पर				किए गए	(iii) अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट या
	परिवर्तन				अनुदेशों	हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण
	किया जा				या	गति;
	सकता				आदेशों के	
	है।				अनुसार	(ख) वांछनीय:
	,				विभागीय	(i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या
					अभ्यर्थियों	
					सहित	मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक
					सरकारी	सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी
					सेवकों के	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
					लिए पांच	के प्रबंधन में अनुभव;
					वर्ष तक	
					शिथिल	रिकॉर्ड प्रबंधन और गोपनीय कागजात के
					की जा	रखरखाव का ज्ञान;
					सकती है।	(iii) अपॉइन्टमेन्ट का अनुसूचन और यात्रा
						अनुसूचन से परिचित होना;
						(iv) अच्छी पारस्परिक कौशल, आगंतुकों
						की आवभगत क्षमता;
						(v) कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में
						कुशलता;
						9 ,
						टिप्पण 1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित
						अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो
						लोखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के
						ाजिम्ब्द्रामण्ड्रभाष्ट्र, त्राम माजिमारा म

			विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
			िटप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं
			कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए,
			"सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार
			अनुसूचित जातियों या अनुसूचित
			जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में, तब
			शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम प्राधिकारी" की यह
			राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को
			भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
			उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त
			संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं
			है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू	दो	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के, समय-समय पर संशोधित, तारीख 21/12/2020 के	लागू नहीं
नहीं	वर्ष।	कार्यालय ज्ञापन संख्या 39020/01/2016-स्था.(ख) के अनुसार में गैर-अनुशंसित	होता।
होता।		अभ्यर्थियों की सूची में से जिन्होंने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक	
		स्तरीय परीक्षा के भर्ती के सभी चरणों को सीधी भर्ती द्वारा उत्तीर्ण कर लिया हो।	
		टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य	
		परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण हुई	
		रिक्तियों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या अर्ध सरकारी या	
		मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या	
		स्वशासी या कानूनी संगठनों के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता	
		है, जो वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-5 (29200-92300 रु.) में नियमित आधार पर सदृश	
		पद धारण करते हों या छह वर्ष की सेवा दे चुके हों और जिनके पास स्तंभ 7 के अधीन	
		सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित अर्हताएं और अनुभव हों।	

(12)			(13)	
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) रि	नेसमें निम्नलिखित	संघ लोक	सेवा	आयोग से
होंगे:		परामर्श कर	रना आ	वश्यक नहीं
(1) विद्युत मंत्रालय में निदेशक	- अध्यक्ष;	है।		
(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	- सदस्य;			
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	– सदस्य।			
विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें र्ा	नेम्नलिखित हैं:			
(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	-अध्यक्ष;			
(2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय	– सदस्य;			
(3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	– सदस्य.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	1*	केंद्रीय सरकार में	वेतन	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष	आवश्यक
चालक।	(2024)	समूह 'ग' पदों के	मैट्रिक्स में	होता।	के बीच।	(i) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालन
		समतुल्य,	वेतन स्तर-	·		अनुतप्ति रखता हो;
	* कार्य भार		2		(केन्द्रीय सरकार	और
	के आधार	अननुसचिवीय,	(19900–		द्वारा जारी किए	(ii) कम से कम तीन वर्ष तक मोटर कार

पर	अराजपत्रित।	63200रु.)।	गए अनुदेशों या	चलाने का अनुभव;
परिवर्तन		•	आदेशों के	और
किया जा			अनुसार	(iii) 10+2 या सीनियर स्कूल परीक्षा
सकता है।			विभागीय	उत्तीर्ण।
			अभ्यर्थियों	
			सहित सरकारी	टिप्पण 1: अहर्ताएं अन्यथा सुअर्हित
			कर्मचारियों के	अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो
			लिए शिथिल की	लेखबद्ध किए जाए, "सक्षम प्राधिकारी" के
			जा सकती है।)	विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
				टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं
				कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए,
				"सक्षम प्राधिकारी" के विवेकानुसार
				अनुसूचित जातियों या अनुसूचित
				जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में,
				ऐसे, तब शिथिल की जा सकती हैं जब
				चयन के किसी प्रक्रम पर "सक्षम
				प्राधिकारी" की यह राय है कि उनके लिए
				आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए
				अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों
				के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध
				होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू	सीधी	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):
नहीं	भर्ती	(जिसके अंतर्गत	
होता।	किए	अल्पकालिक संविदा भी	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या
	जाने	है),	विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर
	वाले	जिसके न हो सकने पर	के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या स्वशासी या कानूनी संगठनों के
	व्यक्तियों	सीधी भर्ती द्वारा	अधिकारी-
	के लिए		
	दो वर्ष		(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण
			किए हुए हों; या
			(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-1 (18000-56900 रु) में
			नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा की हो और जो स्तंभ 7 के
			अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथाविहित
			अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

(12)	(13)		
विभागीय चयन समिति (नियुक्ति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित	संघ लोक सेवा आयोग से		
होंगे:	परामर्श करना आवश्यक नहीं		
(1) सचिव, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - अध्यक्ष;	है।		
(2) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य;			
(3) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य।			

विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित हैं:
(1) संयुक्त निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - अध्यक्ष;
(2) अवर सचिव, विद्युत मंत्रालय - सदस्य;
(3) उप निदेशक (गैर-तकनीकी), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो - सदस्य।

[फा. सं. 13/05/2023 –ईसी तारीख: 26/03/2025] साकेत कुमार सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 26th March, 2025

- **G.S.R. 36.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 10 read with clause (d) of sub-section (2) of section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of Bureau of Energy Efficiency (Recruitment, Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the posts of officers and other employees of the Bureau of Energy Efficiency, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Recruitment, Appointment and Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule.
- **4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Liability for service in any part of India. All employees shall be liable to serve in any part of India carrying All India Service liability.
- **6. Disqualification.-** No person,
 - a) who has entered into or contracted into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to be marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 7. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Bureau, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **8. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Director (Technical).	10 (2025)* *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government, Non- Ministerial and Non-Gazetted.	Pay level- 13 (Rs.123100- 215900) in pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Joint Director (Technical) with five years service in pay level-12 (Rs. 78800 – 209200) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular service in the grade and possessing a certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed

probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract)

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-

- **(A)** (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; **or**
- (ii) with five years regular service in pay level-12 (Rs. 78800 209200) of pay matrix in the parent cadre or Department; **or**
- (iii) with ten years regular service in pay level-11 (Rs. 67700 208700) of pay matrix in the parent cadre or Department;

and

- **(B)** having the following educational qualification:-
- (i) Master degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; **or**
- (ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;

and

(iii) possessing Certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

and

(C) having ten years of post qualification experience in dealing with the energy efficiency matters in industry, transport or building.

Desirable: (i) Master degree in Engineering or Business Management/ Administration or Energy Studies or Industrial or System Management from a recognised University;

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for

consideration for appointment by promotion.
Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed five years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.				
(12)	(13)				
The Departmental Selection Committee (for considering promotion or appointment) consisting of:	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.				
 Additional Secretary, Ministry of Power -Chairperson; Deputy Director General, Bureau of Energy Efficiency -Member; Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power – Member. 					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Joint	11 (2025)*	Equivalent to	Pay level-	Selection.	Not	Not applicable.
Director		Group 'A'	12		applicable.	
(Technical).	*Subject to	posts in the	(Rs.78800-			
	variation	Central	209200) in			
	dependent on	Government,	pay			
	workload.		matrix.			
		Non-				
		Ministerial,				
		Non-Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Deputy Director (Technical) with five years' service in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular service in the grade and possessing a certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001)
			Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognized Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations-

- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years regular service in pay level-11 (Rs. 67700 208700) of pay matrix in the parent cadre or Department;

and

- **(B)** having the following essential educational qualification:-
- (i) Master degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; **or**
- (ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;

and

(iii) possessing Certificate as energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

and

- **(C)** having ten years of post qualification experience in dealing with the energy efficiency matters in industry, transport or building.
- **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.
- **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering	Consultation with Union Public Service Commission
promotion/ appointment) consisting of —	is not necessary.
 (1) Additional Secretary, Ministry of Power -Chairperson; (2) Deputy Director General, Bureau of Energy Efficiency -Member; 	
(3) Joint Secretary or equivalent level Officer in Ministry of	
Power -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Deputy Director (Technical).	11 (2025)* *Subject to variation	Equivalent to Group 'A' posts in the Central Government,	Pay level- 11 (Rs.67700 - 208700) of pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
	dependent on workload.	Non- Ministerial, Non-Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Assistant Director (Technical) with five years service in pay level-10 (Rs. 56100-177500) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing a certificate as energy manager or energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in pay level-10 (Rs. 56100-177500) of pay matrix in the parent cadre or department; and (B) having the following essential educational qualification:-

	(i) Masters degree in Physics or Chemistry or Economics or Mathematics from a recognised University; or
	(ii) Bachelor degree in Engineering from a recognised University;
	and
	(iii) possessing Certificate as energy manager or energy auditor based on the National Examination under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);
	and
	(C) having five years of post qualification experience in dealing with energy efficiency matters in industry, transport or building.
	Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
	Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.
	Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering	Consultation with Union Public Service
promotion or appointment) consisting of:	Commission is not necessary.
Departmental Selection Committee consisting of:-	
(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of	
Power - Chairperson;	
(2) Director in Bureau of Energy Efficiency -Member.	
(3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Assistant	20	Equivalent	Pay level-	Not	Up to Thirty-five	Essential:
Director	(2025)*	to Group 'A'	10	applicable.	years.	(A) (i) Master degree in
(Technical).		posts in the	(Rs.56100–			Physics or Chemistry or
	*Subject	Central	177500) in		(Relaxable for	Economics or
	to	Government,	pay matrix.		Government	Mathematics from a
	variation	Non-			servants including	recognised University;
	dependent	Ministerial,			Departmental	or
	on	Non-			candidates up to	
	workload.	Gazetted.			five years in	(ii) Bachelor degree in
					accordance with	Engineering from a
					the	recognised University;

		instructions/	orders	
		issued by Central Government		Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.
				Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Two	By Direct Recruitment based on valid GATE Score in the order of merit	Not
applicable.	year.	wherever applicable. The Bureau of Energy Efficiency shall fix the cut-off GATE score for ranking for different disciplines/streams. The Departmental selection committee shall recommend the candidates, on the basis of GATE Score for finalising the selection of the shortlisted candidates.	applicable.
		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.	

(12)	(13)
Departmental Selection Committee (for considering selection) consisting of:- (1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power - Chairperson; (2) Director in Bureau of Energy Efficiency - Member; (3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:
(1) Director in Ministry of Power - Chairperson;
(2) Joint Director, Bureau of Energy Efficiency - Member;
(3) Under Secretary, Ministry of Power - Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Joint	01 (2025)*	Equivalent to	Pay level-	Not	Not	Not applicable.
Director		Group 'A'	12	applicable.	Applicable.	
(Non-	*Subject to	posts in the	(Rs.78800-			
Technical).	variation	Central	209200) in			
	dependent on	Government,	pay			
	workload.	Ministerial,	matrix.			
		Non-Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	(10) Composite method: By deputation including short-term contract/ promotion.	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) having the following essential educational qualification:- (i) Bachelors degree from a recognised university; or (ii) Master of Business Administration (with specialisation in Finance/ Human Resources) from a recognised University/Institution; and (c) having ten years of post qualification experience in handling establishment or administration or Accounts or Vigilance related issues. Note 1: The Departmental Deputy Director (Non-Technical) in pay level-11 (Rs. 67700 – 208700) of pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed Cash and Accounts Training, training in administrative vigilance and other establishment matters shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
			Note 3: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this

	appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.
	Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering	Consultation with Union Public Service Commission
appointment) consisting of:-	is not necessary.
 Additional Secretary, Ministry of Power - Chairperson; Deputy Director General, Bureau of Energy Efficiency - Member; Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of Power, Ministry of Power-Member. 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Deputy	01 (2025)*	Equivalent to	Pay level-	Not	Not	Not applicable.
Director		Group 'A'	11	applicable.	applicable.	
(Non-	*Subject to	posts in the	(Rs.67700			
Technical).	variation	Central	-208700)			
	dependent on	Government,	in pay			
	workload .		matrix.			
		Ministerial,				
		Non-Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Not	Composite	Deputation (including short-term contract):
applicable.	applicable.	method:	
			Officers of the Central Government or State Governments or Union
		By deputation	territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public
		including	Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory
		short-term	organisations-
		contract/	
		promotion.	(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
			(ii) with five years regular service in pay level-10 (Rs.56100-177500) of
			pay matrix in the parent cadre or Department;
			and
			(b) having the following essential educational qualification:-
			(i) Bachelors degree from a recognised university; or
			(ii) Master of Business Administration (with specialisation in Finance /
			Human Resources) from a recognised University/Institution;
			and
			(c) having five years of post qualification experience in handling
			establishment or administration or Accounts or Vigilance related issues.
			Note 1: The Departmental Assistant Director (Finance) and Assistant
			Director (Human Resources) in pay level-10 (Rs.56100-177500) of pay
			matrix with five years' of regular service in the grade and having
			successfully completed Cash and Accounts Training, training in
			administrative vigilance and other establishment matters shall also be
			considered along with outsiders and in case he is selected for appointment
			to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.
			Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the
			direct line of promotion shall not be eligible for consideration for
			appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation
			shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.

Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)				
(2) Director in Ministry of Power	Commission is not n		ublic Service			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	01 (2025)*	Equivalent to	Pay level-	Not	Not	Not
Assistant		Group 'A' posts in	10	applicable.	applicable.	applicable.
Director	*Subject to variation	the Central	(Rs.56100-			
(Finance).	dependent on workload.	Government	177500) in			
		Ministerial, Non-	pay matrix.			
		Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for promotees.	Composite method: By deputation including short-term contract/promotion	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with four years regular service in pay level-8 (Rs.47600-151100) of pay matrix in the parent cadre or Department; or (iii) with five years' regular service in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) having the following educational qualification and experience:- (i) Bachelors degree from a recognised university; or (ii) Master of Business Administration (with specialisation in Finance) from a recognised University/Institution. and (c) Possessing minimum three years experience in handling finance, accounts and budget related works. Note 1: The Departmental Finance and Accounts Officer in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix with five years of regular service in the grade and having successfully completed Cash and Accounts Training shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.

Note 4: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of

applications.

(12)(13)The Departmental Selection Committee (for considering Union Public Consultation with Service Commission is not necessary. appointment) consisting of: (1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of - Chairperson; Power (2) Director in Ministry of Power -Member; (3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency –Member. The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Chairperson; (2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency -Member; (3) Under Secretary, Ministry of Power Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8. Assistant	01	Equivalent	Pay level-	Not	Not	Not applicable.
Director	(2025)*	to Group 'A'	10	applicable.	applicable.	
(Human		posts in the	(Rs.56100-			
Resources).	*Subject	Central	177500) in			
	to	Government	pay matrix.			
	variation	Ministerial,				
	dependent	Non-				
	on	Gazetted.				
	workload.					

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years for promotees.		\ /

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with four years regular service in pay level-8 (Rs.47600-151100) of pay matrix in the parent cadre or Department;

or

(iii) with five years regular service in pay level-7 (Rs.44900-142400) of pay matrix in the parent cadre or Department;

and

- (b) having the following educational qualification and experience:-
- (i) Bachelors degree from a recognised university; or
- (ii) Master of Business Administration (with specialisation in Human Resources) from a recognised University/Institution;

and

- **(c)** Possessing minimum three years experience in handling general administration and establishment related works.
- **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, officers appointed on deputation shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.
- **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering	Consultation with Union Public Service
appointment) consisting of:	Commission is not necessary.
(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of	
Power - Chairperson;	
(2) Director in Ministry of Power -Member;	
(3) Secretary, Bureau of Energy Efficiency —Member.	
The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	
(1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency -Chairperson;	
(2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy	
Efficiency -Member;	
(3) Under Secretary, Ministry of Power — Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9.	2 (2025)*	Equivalent	Pay level-	Not	Up to thirty years.	Essential:
Administrative	*Subject	to Group 'B'	7	applicable.		(i) Bachelors degree from
Officer.	to	posts in the	(Rs.44900		(Relaxable for	a recognised university;
	variation	Central	- 142400)		Government	or
	dependent	Government	in pay		servants including	(ii) Master of Business
	on		matrix.		departmental	Administration (with

workload.	Ministerial,		candidates up to	specialisation in Human
workioud:	Non-		five years in	Resource) from a
	Gazetted.		accordance with	recognised University/
	Gazettea.		the	Institution.
			instructions/orders	mstitution.
			issued by the	Desirable: One year
			Central	-
				experience in handling
			Government).	establishment or
				administration or
				Vigilance related issues
				in the Central or State/UT
				Government or PSUs,
				Universities or Statutory
				or Autonomous Bodies or
				recognised Research
				Institutes etc.
				Note 1: Qualifications
				are relaxable at the
				discretion of the
				"Competent Authority"
				for reasons to be recorded
				in writing in the case of
				candidates otherwise well
				qualified.
				Note 2: The qualification
				regarding experience is
				relaxable at the discretion
				of the "Competent
				Authority" for the
				reasons to be recorded in
				writing in the case of
				candidates belonging to
				the Scheduled Caste or
				the Scheduled Tribes if at
				any stage of selection, the
				"Competent Authority" is
				of the opinion that
				sufficient number of
				candidates from these
				communities possessing
				the requisite experience
				are not likely to be
				available to fill up the
				vacancies reserved for
				them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Two	By Direct Recruitment in accordance with the DoP&T OM No. 39020/01/2016-	Not
applicable.	years.	Estt. (B) dated 21/12/2020, as amended from time to time, from the list of non-	applicable.
		recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, of	
		Combined Graduate level Examinations conducted by Staff Selection	
		Commission.	
		For this purpose, non-recommended candidates, who have cleared all the	
		stages of recruitment, shall be called in the ratio of 1:3 (three times of the	
		vacancies), and after verification of credentials regarding age, educational	
		qualification, claim for reservation and character and antecedents verification	
		report, the shortlisted candidates shall be offered appointment in the order of merit	
		declared by the Staff Selection Commission.	
		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long	
		illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or	

more may be filled on depuation basis from officers of Central Government or State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts or with five years' service in pay level-6 (Rs.35400 – 112400) in pay matrix on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.

(12)	(1	3)		
The Departmental Selection Committee (for considering appointmental Selection Committee)	ent) consisting	Consultation	with	Union
of:		Public Service	Commi	ssion is
(1) Director in Ministry of Power	- Chairperson;	not necessary.		
(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency	 Member; 			
(3) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency	–Member.			
The Departmental confirmation Committee (for considering consisting of: (1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency (2) Under Secretary, Ministry of Power	confirmation) -Chairperson; - Member;			
(3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency	– Member.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10. Finance	01 (2025)*	Equivalent to Group 'B'	Pay level-	Not	Not	Not
and	*Subject to variation	posts in the Central	7	applicable.	applicable.	applicable.
Accounts	dependent on	Government,	(Rs.44900			
Officer.	workload.	Ministerial, Non-	-142400)			
		Gazetted.	in pay			
			matrix.			

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Not	By	Promotion: Officers of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of
applicable.	applicable.	promotion	Accountant with five years service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of pay
		failing	matrix rendered after appointment thereto on a regular basis and having
		which by	successfully completed Cash and Accounts training conducted by Institute of
		deputation	Secretariat Training and Management.
		including	N. W. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
		short term	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility
		contract.	service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility
			service by more than half of such qualifying or eligibility service or two
			years, whichever is less, and have successfully completed probation period
			for promotion to the next higher grade along with their juniors who have
			already completed such qualifying or eligibility service.
			Deputation (including short-term contract):
			Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organizations-
			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
			 (ii) with five years regular service in pay level-6 (Rs.35400 – 112400) of pay matrix in the parent cadre or Department; and (b) having the following educational qualification and experience:-
			Eccential
			Essential: (i) Bachelor degree in Commerce from a recognised university; and (ii) possessing two years experience in cash and accounts or budget work in Central Government or State Governments or Union territories of

Universities or recognised research institute or public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisation.

Desirable:

- (i) Master of Business Administration (with specialisation in Finance) from a recognised University/ Institution;
- (ii) Knowledge of Central Government accounting procedure such as procedural details for budget, drawing and disbursement, receipts and payment, statutory recoveries, funds, their accounting and financial control, preparation and finalization of annual accounts; and
- (iii) having sound knowledge of commercial accounts.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)			
The Departmental Selection Committee (appointment) consisting of:	for considering	Consultation with Commission is not r		Public	Service
 (1) Director in Ministry of Power (2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency (3) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy 	- Chairperson; - Member; gy Efficiency -Member.				

Accountant. 03	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
variation dependent on Non-workload). Wariation dependent servants (i) Master of But Administration specialisation in Find from a recognised University of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Wariation dependent on Non-workload). Wariation on Pind from a recognised University of five years in accounts or budget we offices specified in rule (iii) Must have knowled (iii) Must have knowled (iiii) Must hav	11.	03 (2025)* *(Subject to variation dependent on	Equivalent to Group 'B' posts in the Central Government, Ministerial, Non-	Pay level- 6 (Rs.35400- 112400) in pay	Not	Up to thirty years. (Relaxable for Government servants including departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central	Essential: (i) Bachelor degree in Commerce from a recognised university; Desirable: (i) Master of Business Administration (with specialisation in Finance) from a recognised University/ Institution. (ii) possessing two years experience in cash and accounts or budget work in offices specified in rule 2(iii). (iii) Must have knowledge of Central Government accounting procedure such as procedural details for budget, drawing and disbursement, receipts and payment, statutory recoveries, funds, their accounting and financial control, preparation and finalization of annual

	(iv) having sound knowledge of commercial accounts. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the "Competent Authority" for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.
	Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the "Competent Authority" for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the "Competent Authority" is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Two	By Direct Recruitment in accordance with the DoP&T OM No. 39020/01/2016-	Not
applicable.	Years.	Estt. (B) dated 21/12/2020, as amended from time to time, from the list of non-	applicable.
		recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, of	
		Combined Graduate level Examinations conducted by Staff Selection	
		Commission.	
		For this purpose, non-recommended candidates, who have cleared all the	
		stages of recruitment, shall be called in the ratio of 1:3 (three times of the	
		vacancies), and verification of credentials regarding age, educational	
		qualification, claim for reservation and character and antecedents verification	
		report, the shortlisted candidates shall be offered appointment in the order of	
		merit declared by the Staff Selection Commission.	
		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long	
		illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or	
		more may be filled on depuation basis from officers of Central Government or	
		State Government or Union territories or semi Government or recognised	
		research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous	
		or statutory organizations holding analogous posts or with five years' service in	
		pay level-6 (Rs.35400 – 112400) on regular basis and possessing the	
		qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.	

(12)	(13))	
The Departmental Selection Committee (for considering appoint	ment) consisting of:	Consultation v Public	with Union Service
(1) Director in Ministry of Power(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency	- Chairperson;- Member;	Commission necessary.	is not
(3) Under Secretary, Ministry of Power	– Member.		

The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:

(1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency

-Chairperson;

(2) Under Secretary, Ministry of Power

- Member;

(3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency

- Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	1* (2025)	Equivalent to Group 'A'	Pay level-	Not	Not	Not
Deputy		posts in the Central	11	applicable.	applicable.	applicable.
Director	*Subject to variation	Government,	(Rs. 67700-			
(Media).	dependent on work	Non-Ministerial, Non-	208700) in			
	load.	Gazetted.	pay matrix.			

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Not	By	Deputation (including short- term contract):
applicable.	applicable.	Deputation	Officers of the Central Government or State Governments or Union
		including	territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public
		short term contract.	Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-
			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or (ii) having five years regular service in the pay level-10 (Rs.56100 - 177500) of pay matrix on regular basis in the parent cadre; or (iii) having six years regular service in the pay level- 9 (Rs.53100 - 167800) of pay matrix on regular basis in the parent cadre;
			and
			(b) having Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or equivalent;
			and
			(c) Five years of experience in handling Public Relations or Media in a reputed organisation.
			Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.
			Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)		(13)			
The Departmental Selection Committee (for consideration consisting of:	Consultation with Commission is not r		Service		
(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Mi					
(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency	–Member;				
(3) Director, Press Information Bureau					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	1* (2025)	Equivalent to	Pay level-	Not	Not	Not applicable.
Assistant		Group 'A' posts	10	applicable.	applicable.	
Director	*Subject to variation	in the Central	(Rs.56100			
(Media).	dependent on work	Government,	- 177500)			
	load.	Non-	in pay			
		Ministerial,	matrix.			
		Non-Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Not	By	Deputation (including Short- term contract)
applicable.	applicable.	Deputation including short term contract.	Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-
			(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre; or (ii) having two years regular service in the pay level- 9 (Rs.53100 - 167800) of pay matrix on regular basis in the parent cadre; or (iii) having three years regular service in the pay level- 8 (Rs. 47600 - 151100) of pay matrix on regular basis in the parent cadre;
			 and (b) having Degree or Post Graduate Diploma in Mass Communication or equivalent; and (c) Five years of experience in handling Public Relations or Media in a
			reputed organisation. Note 1: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed four years.
			Note 2 The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for considering ap	ppointment) Consultation with Union Public Service
consisting of:	Commission is not necessary.
(1) Joint Secretary or equivalent level Officer, Ministry of	Power
- Cl	nairperson;
(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency	-Member;
(3) Director, Press Information Bureau	–Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	01 (2025)*	Equivalent to	Pay level – 8 (Rs. 47600	Not	Not	Not
Senior		Group 'B' posts	 151100) and upgraded 	applicable.	applicable.	applicable.
Private	*(Subject to	in the Central	to			
Secretary.	variation	Government,				
	dependent on	Ministerial, Non-	Pay level – 9 (Rs. 53100			
	workload).	Gazetted.	 – 167800) in pay matrix 			
			after four years of			
			regular service.			ŀ

(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: Officials of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of Private Secretary with two years service in pay level-7 (Rs. 44900-142400) of pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) with two years regular service in pay level-7 (Rs. 44900-142400) of pay matrix in the parent cadre or Department;

and

(b) having the following essential educational qualification and experience:-

Essential:

- (i) Bachelor degree from a recognised university; and
- (ii) possessing experience as under:
- 1. having speed in shorthand of 80 words per minute in English or Hindi;
- 2. having speed in typewriting of 40 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi;
- 3. Experience in managing the personal office of officers;
- 4. Knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers;
- 5. Scheduling of appointments and familiarity with travel scheduling;
- 6. Good interpersonal skills, ability in attending the visitors;

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

	(12)							(13)		
The	Departmental	Selection	Committee	(for	considering	Consultation	with	Union	Public	Service
appo	intment) consistii	ng of:				Commission i	s not n	ecessary.		
(1)	(1) Director in Ministry of Power				Chairperson;					
(2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency				-Member;						
(3) Under Secretary, Ministry of Power				– Member.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	1* (2025)	Equivalent to Group	Pay level -	Not	Not	Not
Private		'B' posts in the	7. (Rs.44900	applicable.	applicable.	applicable.
Secretary.	*Subject to variation	Central Government,	- 142400) in			
	dependent on work	Ministerial, Non-	pay matrix.			
	load.	Gazetted.				

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Not	By promotion	Promotion: Officials of the Bureau of Energy Efficiency in the Grade of
applicable.	applicable.	failing which	Stenographer with five years service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of
		by deputation	pay matrix rendered after appointment thereto on a regular basis.

including short term contract.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory organisations-

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; \mathbf{or}
- (ii) with five years regular service in pay level-6 (Rs. 35400-112400) of pay matrix in the parent cadre or Department;

and

- (b) having the following educational qualification and experience:-
- (i) Bachelor degree from a recognised university; and
- (ii) possessing experience as under:
- 1. having speed in shorthand of 80 words per minute in English or Hindi;
- 2. having speed in typewriting of 40 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi;
- 3. Experience in managing the personal office of officers;
- 4. Knowledge of office procedures, file keeping, record management and maintaining confidential papers;
- 5. Scheduling of appointments and familiarity with travel scheduling;
- 6. Good interpersonal skills, ability in attending the visitors;

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) to another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or Departments of the Central Government shall not exceed three years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
The Departmental Selection Committee (for consid	lering Consultation with Union Public Service
appointment) consisting of:	Commission is not necessary.
(1) Director in Ministry of Power - Chairpe (2) Secretary, Bureau of Energy Efficiency - Mer (3) Under Secretary, Ministry of Power - Mer	mber;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16.	08	Equivalent to	Pay	Not	Up to thirty	(A) Essential:
Stenographer.	(2025)*	Group 'B'		applicable.	years.	(i) Bachelor degree from a
	*Subject	posts in the	(Rs.	* *	•	recognised university; and
	to	Central	35400-		(Relaxable	(ii) having speed in shorthand of 80
	variation	Government	112400/)		for	words per minute in English or
	dependent		in pay		Government	Hindi; and
	on	Ministerial,	matrix.		servants	(iii) having speed in typewriting of
	workload.	Non-	1110001171		including	40 words per minute in English or 30
	Working da.	gazetted.			departmental	words per minute in Hindi;
		guzettea.			candidates up	words per minute in rimar,
					to five years	(B) Desirable:
					in accordance	L 3'
						managing the personal office of
					instructions	officers in Central Government or
					or orders	State Governments or Union
					issued by the	territories or Universities or
					Central	recognised research institute or
					Government).	public Sector Undertakings or
						statutory or autonomous
						organization;
						(ii) Knowledge of office procedures,
						file keeping, record management and
						maintaining confidential papers;
						(iii) Scheduling of appointments and
						familiarity with travel scheduling;
						(iv) Good interpersonal skills, ability
						in attending the visitors;
						(v) should be proficient in Computer
						and Microsoft office;
						Note 1: Qualifications are relaxable
						at the discretion of the "Competent
						Authority" for reasons to be
						recorded in writing in the case of
						candidates otherwise well qualified.
						Note 2: The qualification regarding
						experience is relaxable at the
						discretion of the "Competent
						Authority" for the reasons to be
						recorded in writing in the case of
						candidates belonging to the
						Scheduled Caste or the Scheduled
						Tribes if at any stage of selection,
						the "Competent Authority" is of the
						opinion that sufficient number of
						candidates from these communities
						possessing the requisite experience
						are not likely to be available to fill
						up the vacancies reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)
Not	Two	By Direct Recruitment in accordance with the DoP&T OM No.	Not
applicable.	years.	39020/01/2016-Estt. (B) dated 21/12/2020, as amended from time to time,	applicable.
		from the list of non-recommended candidates, who have cleared all the stages of recruitment, of Combined Stenographer Grade C and D Examination conducted by Staff Selection Commission.	
		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government or	

State Government or Union territories or semi Government or recognised research institutions or universities or public sector undertakings or autonomous or statutory organizations holding analogous posts or with six years' service in pay level-5 (Rs.29200 – 92300) in pay matrix on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.

(12)		(13)
The Departmental Selection Committee (for considering appointment) consisting	Consultation with	
(1) Director in Ministry of Power	Union Public Service	
(2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency	- Member;	Commission is not
(3) Under Secretary, Ministry of Power	Member.	necessary.
The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) cons	isting of:	
(1) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency		
(2) Under Secretary, Ministry of Power		
(3) Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency	 Member. 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
17.	1*	Equivalent to	Pay level-2	Not	Between 18 to 25	Essential:	
Driver.	(2024)	Group 'C'	(Rs.19900 –		years.	(i) possessing a valid driving license	
			63200) in pay			for motor cars; and	
	*Subject to	Central	matrix.		(Relaxable for	(ii) experience of driving a motor car	
	variation	Government,			Government	for at least three years; and	
	dependent				servants	(iii) should have passed 10+2 or	
	on work	Non-			including	Senior School Examination.	
	load.	ministerial,			departmental		
		Non-			candidates in	Note 1: Qualifications are relaxable	
		gazetted.			accordance with	at the discretion of the "Competent	
					the instructions	Authority" for reasons to be recorded	
					or orders issued	in writing in the case of candidates	
					by the Central	otherwise well qualified.	
					Government)		
						Note 2: The qualification regarding	
						experience is relaxable at the	
						discretion of the "Competent	
						Authority" for the reasons to be	
						recorded in writing in the case of	
						candidates belonging to the	
						Scheduled Caste or the Scheduled	
						Tribes if at any stage of selection, the	
						"Competent Authority" is of the	
						opinion that sufficient number of	
						candidates from these communities	
						possessing the requisite experience	
						are not likely to be available to fill	
						up the vacancies reserved for them.	

(8)	(9)	(10)	(11)	
Not applicable.	Two	By deputation (including	Deputation (including short term contract):	
	years for	short term contract)		
	direct	failing which by Direct	Officials of the Central Government or State	
	recruits.	Recruitment.	Governments or Union territories or Universities or	
			Recognised Research Institutes or Public Sector	
			Undertakings or Semi-Government or Autonomous or	
			Statutory organisations-	
			(i) holding analogous post on regular basis in the	
			parent cadre or Department; or	
			(ii) with three years service in pay level-1 (Rs. 18000-	

	56900) of pay matrix on regular basis and possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column 7.

(12)		(13)
The Departmental Selection Committee (for considering appointment) con (1) Secretary, Bureau of Energy Efficiency (2) Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency (3) Under Secretary, Ministry of Power The Departmental confirmation Committee (for considering confirmation)	-Chairperson; -Member; - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
 Joint Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency Under Secretary, Ministry of Power Deputy Director (Non-Technical), Bureau of Energy Efficiency 	-Chairperson; — Member; — Member.	

देशका और सह होता। को इन वित्यम से तथा कर्युक्तों के लिस (2) वे लोग (दें) में जिल्लीर ही

्या है के पहुँचे, बार बीचा, बहुतार्थ, पाकि कर पर वह वहाँ है। भ्यानिक करिया, पहुँचा और वहाँ

(B) विकार जोता प्राप्त का बातके पीता के बीतिय रहते हुए (करी नार्ति में विकार किया है वा विवाह की संविद्या

[F. No. 13/05/2023 –EC Dated: the 26th March 2025] SAKET KUMAR SINHA, Under Secy.